प्रेस विज्ञप्ति

13.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 11/11/2025 को मेसर्स विक्ट्री इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड की 111.57 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने एसबीआई, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच, हैदराबाद द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मेसर्स विक्ट्री इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (वीईएल), मेसर्स विक्ट्री ट्रांसफॉर्मर्स एंड स्विचगियर्स लिमिटेड (वीटीएसएल), उनके निदेशकों महेंद्र कुमार वड्डिनेनी, मनोज कुमार वड्डिनेनी, वेंकटप्पा नायडू वड्डिनेनी और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर, सीबीआई ने माननीय XXI एसीएमएम, हैदराबाद के समक्ष आरोप पत्र सीसी संख्या 8743/2023 दायर किया। उक्त एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों ने क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए एसबीआई को फर्जी वित्तीय दस्तावेज, बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई बैलेंस शीट और झूठी प्राप्तियां जमा करने की आपराधिक साजिश रची; एलसी सुविधाएं और क्रेडिट सीमाएं जारी करने के लिए बैंक को गुमराह किया; और फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी की, जिसके परिणामस्वरूप एसबीआई को 136.50 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ।

ईडी की जाँच से पता चला कि आरोपी महेंद्र कुमार वडिनेनी, जो वीईएल और वीटीएसएल दोनों कंपनियों के नियंत्रण में थे, ने सह-आरोपी नवीन खत्री द्वारा दिल्ली में प्रबंधित और संचालित फर्जी कंपनियों के जाल के माध्यम से 88.93 करोड़ रुपये की ऋण राशि को डायवर्ट और पुनर्निर्देशित किया। ये लेन-देन धन के स्रोत को छिपाने और अवैध धन को बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के वैध व्यावसायिक आय के रूप में दिखाने के इरादे से धन के प्रवाह में कई परतें बनाने के लिए किए गए थे। परतें बनाने के बाद, डायवर्ट की गई अपराध की आय (पीओसी) को वीईएल और वीटीएसएल के अन्य बैंक खातों में वापस स्थानांतरित कर दिया गया, इसे फर्जी कंपनियों से प्राप्त बेदाग व्यावसायिक आय के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया। आरोपी ने ऋण राशि का उपयोग बताए गए व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करने के बजाय, वीईएल और वीटीएसएल की 17.17 करोड़ रुपये की अन्य देनदारियों को अलग रखकर धन की हेराफेरी की; बिना किसी वैध कारोबार के वीईएल और वीटीएसएल के अन्य बैंक खातों में 46.31 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया तथा आरोपी कंपनियों के ऋण खातों से 15.65 करोड़ रुपये की नकदी निकासी की गई।

पीएमएलए जांच के दौरान, एसबीआई से प्राप्त जानकारी से पता चला कि 2011 में, एसबीआई ने मेसर्स वीईएल की ओर से विदेशी ग्राहक के पक्ष में 50,00,000 अमेरिकी डॉलर में ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के संबंध में एक विदेशी बैंक गारंटी जारी की थी और कार्य आदेश का निष्पादन न होने के कारण, एसबीआई को उक्त बैंक गारंटी का सम्मान करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वर्ष 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा, शारजाह, दुबई को 45.10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। उक्त विदेशी बैंक गारंटी के कारण एसबीआई को हुआ नुकसान एनपीए राशि से अलग है। इसलिए, पीएमएलए जांच से पता चला कि एसबीआई को कुल नुकसान 189.04 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) था। उक्त राशि में से, एसबीआई 77.47 करोड़ रुपये वसूल कर सका और 111.57 करोड़ रुपये का नुकसान वसूल किया जाना बाकी है।

ईडी की जाँच से पता चला कि मेसर्स वीईएल, मेसर्स वीटीएसएल या आरोपी व्यक्तियों की कोई भी भार-मुक्त संपत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, अन्य संपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जाँच की गई और यह पता चला कि मेसर्स वीईएल के पास मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन

लिमिटेड में 93.28% नियंत्रित हिस्सेदारी है और महिंद्रा कुमार वड्डीडेनी, मनोज कुमार वड्डीडेनी और वेंकटप्पाय्या नायडू वड्डीनेनी मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड के निदेशक हैं। तदनुसार, जाँच के दौरान मेसर्स हैकब्रिज हेविटिक एंड ईसन लिमिटेड से संबंधित 111.57 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि भूखंडों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जाँच जारी है।